

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 06/2024 GCMS 2024/10

वादी :-

1. ललत मोहन पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी आसपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. कलसनाराम पुत्र शिवराम
2. गुमानाराम पुत्र शिवराम
3. गोरधनलाल पुत्र भीवाराम
4. चेनाराम पुत्र टोडाराम
5. चांदूदेवी पुत्री नन्दाराम
6. छोटुराम पुत्र टोडाराम
7. तेजाराम पुत्र टोडाराम
8. दुलाराम पुत्र नन्दाराम
9. नाराणी पुत्री नन्दाराम
10. पूरणराम पुत्र टोडाराम
11. पारकी पुत्री नन्दाराम
12. बरजी पुत्री नन्दाराम
13. भंवरीदेवी पुत्री नन्दाराम
14. मानकीदेवी पत्नी गोरधनराम
15. मोतीराम पुत्र भीवाराम
16. रामेश्वरलाल पुत्र टोडाराम
17. लालाराम पुत्र सेवाराम
18. सोनकीदेवी पत्नी शिवराम
19. हरदेवा पुत्र नन्दाराम

पन्नाराम पुत्र भीवाराम (फौत) जाति जाट निवासी राणासर के कायम मुकाम :-

20. सोहनराम पुत्र पन्नाराम
21. मोहनराम पुत्र पन्नाराम
22. सुखाराम पुत्र पन्नाराम
23. गोदावरी पत्नी पन्नाराम जाति जाट प्रति. 1 से 23 निवासी ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन
24. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी
25. उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी
26. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान

दावा- इस्तकारर हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 उपस्थित :- श्री भीकमचन्द अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनांक




2024



**उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)**

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2024/1963 दिनांक 05.08.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 19.06.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में वादी के अधिवक्ता ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 16.05.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :-



तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ोसियों ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काशत होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 405 रकबा 1.70 हेक्टर में से नजरी नक्शा अनुसार 0.48 हेक्टर पर वादी ललित मोहन पुत्र पदमाराम जाति जाट सा. आसपुरा का कब्जा काशत चला आ रहा है तथा ग्राम राणासर पटवार हल्का आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1264/426 रकबा 0.0040 हेक्टर, खसरा नम्बर 1265/426 रकबा 0.0180 हेक्टर, खसरा नम्बर 1266/426 रकबा 0.0980 हेक्टर, खसरा नम्बर 1267/432 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 1268/432 रकबा 2.74 हेक्टर, खसरा नम्बर 1269/432 रकबा 2.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 1270/411 रकबा 0.0308 हेक्टर, खसरा नम्बर 1272/1271 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 1273/1271 रकबा 7.9992 हेक्टर, खसरा नम्बर 405 रकबा 1.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 3.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 429 रकबा 2.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.65 हेक्टर कुल खसरे 15 कुल रकबा 21.42 में प्रतिवादीगण शेष खातेदारान का संयुक्त रूप से कब्जा काशत है। वादी मौके पर कब्जानुसार ही जोत विभाजन करवाना चाहता है। पक्षकार का कब्जा काशत नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। वादी अधिवक्ता की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 405 रकबा 1.70 हैक्टर में नजरी नक्शा अनुसार 0.48 हैक्टर पर वादी ललित मोहन पुत्र पदमाराम जाति जाट सा. आसपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खसरा नम्बर 1264/426, 1265/426, 1266/426, 1267/432, 1268/432, 1269/432, 1270/411, 1272/1271, 1273/1271, 415, 429, 430, 431, 433 एवं 405 के शेष रकबे 1.22 हैक्टर में से वादी का नाम हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 19.06.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/11/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार-IRAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डी डवाना-कुचामन)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

बइजलास : श्री सुनील कुमार I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 06/2024 GCMS 2024/10


वादी :-


1. ललित मोहन पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी आसपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. किसनाराम पुत्र शिवराम
2. गुमानाराम पुत्र शिवराम
3. गोरधनलाल पुत्र भीवाराम
4. चेनाराम पुत्र टोडाराम
5. चांदूदेवी पुत्री नन्दाराम
6. छोटुराम पुत्र टोडाराम
7. तेजाराम पुत्र टोडाराम
8. दुलाराम पुत्र नन्दाराम
9. नाराणी पुत्री नन्दाराम
10. पूरणराम पुत्र टोडाराम
11. पारकी पुत्री नन्दाराम
12. बरजी पुत्री नन्दाराम
13. भंवरीदेवी पुत्री नन्दाराम
14. मानकीदेवी पत्नी गोरधनराम
15. मोतीराम पुत्र भीवाराम
16. रामेश्वरलाल पुत्र टोडाराम
17. लालाराम पुत्र सेवाराम
18. सोनकीदेवी पत्नी शिवराम
19. हरदेवा पुत्र नन्दाराम
पन्नाराम पुत्र भीवाराम (फौत) जाति जाट निवासी राणासर के कायम मुकाम :-
20. सोहनराम पुत्र पन्नाराम
21. मोहनराम पुत्र पन्नाराम
22. सुखाराम पुत्र पन्नाराम
23. गोदावरी पत्नी पन्नाराम जाति जाट प्रति. 1 से 23 निवासी ग्राम राणासर तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन
24. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी
25. उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी
26. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान दावा- इस्तकरार हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री भीकमचन्द अधिवक्ता हाजिरी.....
मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 405 रकबा 1.70 हैक्टर में नजरी नक्शा अनुसार 0.48 हैक्टर पर वादी ललित मोहन पुत्र पदमाराम जाति जाट सा. आसपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष खसरा नम्बर 1264/426, 1265/426, 1266/426, 1267/432, 1268/432, 1269/432, 1270/411, 1272/1271, 1273/1271, 415, 429, 430, 431, 433 एवं 405 के शेष रकबे 1.22 हैक्टर में से वादी का नाम हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 19.06.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज मुबलिंग बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21 माह 11 सन् 2024 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत.....
ओहदा.....

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बवत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।




जुज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)